न्यायलय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

प्रकीर्ण वाद सं०- 1855/19

साधना बनाम मोहित आदि।

थाना- मझौला, जिला मुरादाबाद।

02.11.2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं० पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं० मय शपथ पत्र साधना द्वारा विपक्षीगण मोहित आदि के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी का विवाह दिनांक 23.03.2017 को विपक्षी मोहित (मो० नं०- 7351389204) पुत्र जसराम नि०- मतावली पट्टी जग्गू थाना- असमौली, जनपद- संभल के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था किन्तु विवाह के कुछ दिनों बाद ही प्रार्थिनी के ससुराल वाले पति मोहित पुत्र जसराम, सास ओमवती पत्नी जसराम, जेठ राजेश जेछानी करतारी पत्नी राजेश तथा राजेश की लड़की मनू एवं मेरी ननद मीना पुत्री जसराम निवासीगण- ग्राम उपरोक्त प्रार्थिनी को तरह-तरह से कम दहेज लाने के ताने कसकर दहेज में एक लाख रुपए नकद तथा इनवर्टर व एक भैंस की माँग पूरी कराने के लिए प्रार्थिनी के साथ मारपीट व शारीरिक यातनायें देना शुरु कर दिया और अनेकों बार मारपीट कर केवल पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल चुके हैं तथा अंतिम बार दिनांक 07.11.2018 को केवल पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल चुके हैं तथा धमकी दी है कि जब तक कि उपरोक्त दहेज की मांग पूरी नहीं की व खाली हाथ वापिस आई तो प्रार्थिनी को जान से मार देंगे और मोहित की शादी दूसरी जगह करा देंगे, जिसके चलते प्रार्थिनी का एक वैवाहिक बाद न्यायालय परिवार न्यायाधीश मुरादाबाद में मु०नं०- 653/2018, श्रीमती साधना बनाम मोहित धारा- 125 द०प्र०सं० न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें नियत दिनांक 27.08.2019 को प्रार्थिनी न्यायालय के बाहर अपने मुकदमें की पुकार की प्रतीक्षा में बैठी थी कि अचानक विपक्षी मोहित प्रार्थिनी के पास आकर बात करने के बहाने प्रार्थिनी को वहाँ से बाहर बुलाकर ले जाने की जिद करने लगा। प्रार्थिनी के मना करने पर उक्त मोहित व उसके साथ आया उसका भाई राजेश ने प्रार्थिनी को जबरन बाहर खींचकर ले जाकर समय करीब दोपहर 1:30 बजे प्रार्थिनी के साथ गाली-गलौच करने लगें तथा यह मुकदमा वापिस न लेने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थिनी के एतराज करने पर उक्त मोहित व उसके भाई राजेश ने प्रार्थिनी की कमर व गालों पर जोर-जोर से थप्पड़ घूंसे मारने शुरु कर दिये। इससे पूर्व भी उक्त मोहित ने प्रार्थिनी के साथ गाली-गलौच व मारपीट की थी। प्रार्थिनी ने भागकर न्यायालय में मौजूद पेशकार व अन्य कर्मचारियों से शिकायत की तथा बाद में थाना सिविल लाईन्स पर जाकर लिखित शिकायत दी तथा दिनांक

07.09.2019 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, मुरादाबाद को स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया व श्रीमान डी०आई०जी० महोदय, मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद के समक्ष दिनांक 11.09.2019 को रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया, किन्तु कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी मजबूर होकर श्रीमान जी की शरण में आयी है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर मुल्जिमान के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं० के निस्तारण के लिए न्यायालय को यह देखना होता है प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आधार पर प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय बनना पाया जाता है अथवा नहीं।

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो भी कथन किये गये है, उनके संबंध में प्रार्थिनी स्वयं ही अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है तथा प्रार्थिनी को घटना के समस्त तथ्यों एवं गवाहान की जानकारी है। पुलिस द्वारा किसी तथ्य विशेष के अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007 (59) एसीसी पृष्ठ 739 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जोसेफ माथुरी तथा अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द 2001 सप्लीमेंटरी। ए०सी०सी 957 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर न्यायालय के मत में प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 156(3) दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में पंजीकृत किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादिनी अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनाँक 16.11.2019 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुरादाबाद